न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 91/2022 दायर दिनाँक 02.03.2022

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. रेशमा देवी पत्नि मनसुखाराम, उम्र 62 वर्ष, जाति नायक, निवासी खाखोली, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ओमी देवी पत्नि घासीराम, 2. मानारम पुत्र घासीराम, 3. मुनी देवी पुत्री घासीराम, 4. जमना पत्नि भंवरलाल (फौत) 5. सुरेश पुत्र भंवरलाल, 6. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल, 7. ज्यानी उर्फ सिता पुत्री भंवरलाल, 8. सिणगारी पुत्री भंवरलाल, 9. हरीराम पुत्र जगुराम, 10.सन्नी पुत्री जगुराम, 11.बिमला पत्नि जगुराम, समस्त जाति नायक, निवासी खाखेली, तहसील डीडवाना 12.श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188

उपस्थित:—

1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **08.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 451 रकबा 11.12 बीघा वाके मोड़ीयावट स्थित है, जिसके नये खसरा संख्या 760 रकबा 1.8800 हैक्टर वाके महला की ढ़ाणी दर्ज हो गये है, उक्त खेत की वर्तमान में खातेदारी वादीनी व प्रतिवादी नम्बर 01 ओमी देवी, प्रतिवादी मानाराम, मुन्नी देवी, स्वर्गीय जगुराम, स्वर्गीय भंवरलाल व स्वर्गीय श्यामलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, प्रतिवादी नम्बर 02 के भाई श्यामलाल (अविवाहित), प्रतिवादी नम्बर 05 व 06 के पिता भंवरलाल, प्रतिवादी नम्बर 09 व 10 के पिता जगुराम व जगुराम के पुत्र पप्पुराम जो अविवाहित था, इन सब की मृत्यु हो चुकी है, उक्त खेत में वादीनी रेशमा देवी का 1/6 हिंस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीनी रेशमा देवी ने उक्त खेत खसरा संख्या 451 रकबा 11.12 बीघा भूमि में से पेमाराम पुत्र गोमा, जाति नायक, निवासी खाखोली से उसका 1/6 हिंस्सा 75000/रूपयों में दिनॉक 02.03.2016 को खरीद कर मौके पर कब्जा संभाल लिया था, तथा पेमाराम ने मौके पर बेची गयी भूमि का वास्तवीक व भौतिक रूप से कब्जा वादीनी को 1/6 हिंस्सा मौके पर संभला दिया था, तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में वादीनी का उक्त खेत में 1/6 हिंस्सा की खातेदारी दर्ज हो गयी है। खेत का मौखिक रूप सं बंटवारा विक्रय पत्र के समय ही पक्षकारान द्वारा मौके पर कर दिया था, जिसके अनुसार वादीनी के वंट व कब्जा काश्त में उक्त खेत का पूर्वी 1/6 हिंस्सा अर्थात 0.3133 हैक्टर भूमि बंट में आयी, जिस पर तब से लेकर आज तक वादीनी का कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है तथा वावदीनी ने अपनी खातेदारी व बंट के हिंस्से के चारो और हर वर्ष डोल व बाड़ करती आयी है, तथा वादीनी ने अपने हिंस्से के खेत मार्क ए,बी, सी, डी को खाद्व वगैरह डालकर उपजाउ बना लिया है, वादीनी ने इस बंटवारा को अपने [illegible] को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा [illegible] तथा कानूनी रूप से बंटवारा उक्त खेत का नहीं होने से हर समय [illegible] वादीनी उक्त खेत का कानूनी रूप से बंटवारा करवाकर [illegible] वाली भूमि का अलग खाता करवाना चाहती है। [illegible] जायज हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीनी की खातेदारी बंट व कब्जा काश्त के 1/6 हिंस्से जो नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, उसमें प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करे, इस बाबत वादीनी उनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहती है। दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, तथा अन्दर मयाद है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 जरिये अधिवक्ता के ईकबालीया जबाब पेश किया, जो शामिल मिशल किया गया, प्रतिवादी संख्या 1, 6, 11 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 760 रकबा 1.8800 हैक्टर वाकै सरहद महला की ढ़ाणी का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार 0.3133 हैक्टर भूमि की वादीनी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित की जाती है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।
नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 08.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 91/2022 दायर दिनॉक 02.03.2022

वादीया

1. रेशमा देवी पत्नि मनसुखाराम, उम्र 62 वर्ष, जाति नायक, निवासी खाखोली, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. ओमी देवी पत्नि घासीराम,
2. मानारम पुत्र घासीराम,
3. मुनी देवी पुत्री घासीराम,
4. जमना पत्नि भंवरलाल (फौत)
5. सुरेश पुत्र भंवरलाल,
6. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल,
7. ज्यानी उर्फ सिता पुत्री भंवरलाल,
8. सिणगारी पुत्री भंवरलाल,
9. हरीराम पुत्र जगुराम,
10. सन्नी पुत्री जगुराम,
11. बिमला पत्नि जगुराम, समस्त जाति नायक, निवासी खाखेली, तहसील डीडवाना
12. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनॉक 08.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 760 रकबा 1.8800 हैक्टर वाकै सरहद महला की ढ़ाणी का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शायेनुसार 0.3133 हैक्टर भूमि की वादीनी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित की जाती है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner